कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

कमांकः–एफ( )/सर्वे/उवसं./2020–21/ 02410 दिनांकः– 20/8/2021

अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
डिविजन सीकर।

विषयः–ग्राम पंचायत मणकसास के ग्राम खोह में प्रस्तावित एनिकट निर्माण बाबत।
संदर्भः–एफसीए पोर्टल पर प्रकरण संख्या FP/RJ/IRRIG/47910/2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा एफसीए पोर्टल पर आवेदित प्रकरण संख्या FP/RJ/IRRIG/47910/2020 में निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. फार्म–ए के पार्ट–I के साथ अपलोड एवं हार्ड कॉपी के पृष्ठ संख्या 43, 44 पर क्रमशः प्रस्तुत Khasara Map for required forest land for anicut & Khasara Map Superimposed anicut दोनों में एनिकट निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि को अलग–अलग दर्शाया हुआ है। अतः इसे स्पष्ट करते हुए आवश्यक भूमि को खसरा नक्शे पर दर्शाकर प्रस्तुत करें।
2. फार्म–ए के पार्ट–I के साथ अपलोड एवं हार्ड कॉपी के पृष्ठ संख्या 28 पर Segment wise area Calculation Sheet में खसरा नम्बर 1382/21 व 49 का क्षेत्रफल शामिल किया गया है। जबकि पृष्ठ संख्या 34 पर प्रस्तुत जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1382/21 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जो की गैर वन भूमि है तथा खसरा नम्बर 49 की जमाबन्दि शामिल नहीं है। अतः एनिकट निर्माण हेतु प्रस्तावित समस्त भूमि की जामबन्दी मय खसरा नक्शा के साथ प्रस्तुत करें।
3. फार्म–ए के पार्ट–I के साथ अपलोड एवं हार्ड कॉपी के पेज नम्बर 45 व 46 पर क्रमशः प्रस्तुत Submergence Plan for Mansa Mata anicut & Layout plan for anicut दोनों में अलग–अलग क्षेत्रफल दर्शाया हुआ है। अतः एनिकट निर्माण हेतु प्रस्तावित समस्त भूमि का कन्टूर मैप प्रस्तुत करें।
4. फार्म–ए के पार्ट–I के साथ अपलोड एवं हार्ड कॉपी के पेज नम्बर 35 से 42 पर CA Land हेतु प्रस्तुत ग्राम धनावता के खसरा नम्बर 639 की भूमि झाड़–झंकाड़ वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज है एवं मौके पर अतिक्रमण मौजूद है। अतः राजस्व विभाग से सम्पर्क कर अन्य अतिक्रमण मुक्त भूमि चिन्हित कर भिजवाये।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुंझुनूं

464 | D \2018\Survey/survey letter 2018